

✓

उत्तर प्रदेश सरकार
विकलांग कल्याण अनुभाग-1
संख्या'1706 / 65-1-97-18(2) / 96
लखनऊ : दिनांक 20 नवम्बर, 1997

अधिसूचना

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या-1 सन् 1996) की धारा-19 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से राज्य कार्यकारी समिति का गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :-

- | | | | |
|-----|--|-------------------|--------------|
| 1. | सचिव,
प्रभारी विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। | अध्यक्ष
(पदेन) | |
| 2. | आयुक्त,
विकलांग जन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। | सदस्य
(पदेन) | |
| 3. | संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। | सदस्य
(पदेन) | |
| 4. | संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। | सदस्य
(पदेन) | |
| 5. | संयुक्त सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। | सदस्य
(पदेन) | |
| 6. | संयुक्त सचिव,
शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। | सदस्य
(पदेन) | |
| 7. | संयुक्त सचिव,
कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। | सदस्य
(पदेन) | |
| 8. | संयुक्त सचिव,
कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। | सदस्य
(पदेन) | |
| 9. | संयुक्त सचिव,
शहरी कार्यक्रम, श्रम तथा रोजगार विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। | सदस्य
(पदेन) | |
| 10. | संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तर प्रदेश सरकार। | सदस्य
(पदेन) | |
| 11. | निदेशक,
विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। | सदस्य
(पदेन) | |
| 12. | डा० राकेश जैन
सचिव
राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, सी-21, सेक्टर एच, अलीगज, लखनऊ। | सदस्य | संशोधनोपरांत |
| 13. | श्री सैयद जेड.एच.काजमी,
13, जापलिंग रोड, नानपारा हाऊस, लखनऊ। | सदस्य | -तदैव- |

14.	सुश्री मृदु आर० गोयल, 15/1, चौधरी स्कवायर, लखनऊ।	सदस्य	-तदैव-
15.	डाक्टर जे०बी० बनर्जी, सचिव, रोटरी स्पान्सर्ड, क्रिपल्ड यूथ चैल्फेयर सोसाइटी, लूकरगंज, इलाहाबाद।	सदस्य	-तदैव-
16.	श्री राम अधार जोसेफ, अध्यक्ष, विकलांग समाकलन संस्थान बी०एच०यू० करौन्दी वाराणसी।	सदस्य	-तदैव-
17.	संयुक्त सचिव, विकलांग कल्याण, उत्तर प्रदेश सरकार।	सदस्य सचिव पदेन	

आज्ञा से,

(आर०बी० मास्कर)

प्रमुख सचिव।

संख्या-1706/65-1-97, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- (2) निजी सचिव, सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
- (3) निजी सचिव, मा० समाज कल्याण मंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
- (4) निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कल्याण, उ०प्र०।
- (5) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र०।
- (6) महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- (7) सचिव, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- (8) समस्त प्रमुख सचिव एवं सचिव, उ०प्र० शासन।
- (9) समस्त मण्डायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- (10) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।
- (11) निदेशक, विकलांग कल्याण, उ०प्र०,
- (12) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- (13) राज्य समन्वय समिति के समस्त सदस्य।
- (14) विधायी अनुभाग-1/भाषा अनुभाग-5

आज्ञा से

(आर०ए० प्रसाद)

विशेष सचिव